# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 121 / 2025(GCMS 2025/482)**
**(RTI No. 212696515690659)**

**श्री युगनरेश** वार्ड नं. 04, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान (मोबाईल नम्बर 83023–41433)– Email ID – Yugindia01@gmail.com

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व)**, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**06.02.2026**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी युगनरेश स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2025 से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** युगनरेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> निम्नलिखित भूमि की विक्रम संवत 2016 से वर्तमान तक की फर्द खाता की प्रमाणित प्रति मेरे पते पर उपलब्ध करावें :
> खाता नम्बर 1, खसरा नम्बर 72, 76, 76 / 105, हल्का पटवार अमरपुरा जाटान, ग्राम नांगलिया, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**सहायक लोक सूचना अधिकारी** एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. / 2026 / 5641 दिनांक 02.01.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्[illegible] निवेदन है कि प्रार्थी श्री युगनरेश निवासी वार्ड नं. [illegible] तहसील सूरतगढ को इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 5119 [illegible] 28.11.2025 के द्वारा चाही गई सूचना / दस्तावेज उपलब्ध [illegible]वा दिए गए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील **RTI 121/2025** (GCMS No. 2025/482)
युगनरेश बनाम तहसीलदार, सूरतगढ़
(RTI No. 212696515690659)

**सहायक लोक सूचना अधिकारी** एवं तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार अपने पत्रांक भू.अ./2026/5641 दिनांक 02.01.2026 से दिया है, जिसके अनुसार तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। **चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध हो गई है, इसलिए इस अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।**

**अतः उक्त विवेचन के आधार** पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 6.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:19 IST
Reason: SelfAttested